

प्रेस-विज्ञप्ति
जनपद कानपुर देहात।

दिनांक:- 26.08.2020

थाना अकबरपुर

दिनांक 25.08.2020 को थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 660/2020 धारा 11घ पशु क्रूरता अधिनियम में अभियुक्त शरफुद्दीन को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना शिवली

दिनांक 25.08.2020 को थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 389/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त समशेर को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 25.08.2020 को थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 390/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त आसीन को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना बरौर

दिनांक 25.08.2020 को थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 92/2020 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त कल्लू उर्फ रहीस को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना रूरा

दिनांक 25.08.2020 को थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 409/2020 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त सुरेन्द्रपाल को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

धारा 151 दं0प्र0सं0

दिनांक 26.08.2020 को जनपदीय पुलिस रसूलाबाद 03, मंगलपुर 02, भोगनीपुर 01, गजनेर 03, सिकंदरा 02, डेरापुर 03, अभियुक्तों को धारा 151 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

डायल 112 - दिनांक 25.08.2020 को कानपुर देहात के थाना बरौर क्षेत्र मे करंट लगने से एक लडके के घायल होने की सूचना प्राप्त होने पर पीआरवी 2700 मे तैनात मु0आ0 356 अमर सिंह, आ0 1178 रामवीर सिंह, हो0 चालक प्रमोद सिंह द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर गम्भीर रूप से झुलसे लाइनमैन को पीआरवी से तत्काल सीएचसी मलासा मे उपचार हेतु भर्ती करायी गया।